IJAER/ November-December 2024/Volume-13/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का विभाजन

रिसर्च सुपरवाईजर	रिसर्च स्कॉलर
(डॉ. दिलावर नाबी भट)	(मिनाक्षी रावत)
इतिहास विभाग,	इतिहास विभाग,
निम्स विश्वविद्यालय,	निम्स विश्वविद्यालय,
जयपुर	जयपुर

सार

भारत का विभाजन एक महान ऐतिहासिक घटना है जो कुछ क्षणों का परिणाम है। भारत के विभाजन के पीछे काम करने वाली अवधारणाओं और कारकों को समझने के लिए, यह लेख बहुत मददगार है। इस लेख का उद्देश्य यह दिखाना है कि भारत के विभाजन के पीछे कौन से कारक शामिल हैं और इसमें क्षणों की क्या भूमिका है। यह लेख दार्शनिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मौजूदा मामले पर भी चर्चा करता है। इस लेख में दी गई सामग्री विभिन्न विद्वानों के लेखन का विश्लेषण करने के बाद लिखी गई है, जिसके कारण इसे इसकी प्रामाणिकता प्राप्त होती है। यह शोधपत्र भारत के विभाजन के पीछे के कारकों का विश्लेषण प्रदान करता है। आशा है कि इस अध्ययन के अंतर्गत विश्लेषण पाठकों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को भारत के विभाजन की अवधारणा को समझने में मदद करेगा ताकि वे अपने काम में अधिक कुशल बन सकें। कीवर्ड: विभाजन, भारत, राज्य, क्षण, मामले।

मुख्य शब्द: विभाजन, भारत, राज्य, क्षण, मामले।

परिचय

भारत का राष्ट्रवादी इतिहास साम्राज्यवादी इतिहासलेखन की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर, 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों का राष्ट्रवादी स्कूल उभरा। उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं की अभिव्यक्ति पर औपनिवेशिक सेंसरशिप के कारण, राष्ट्रवादी स्कूल ने 1947 तक राष्ट्रीय संघर्ष के अध्ययन में लगभग बहुत कम योगदान दिया। हालाँकि, 1947 के बाद भी, राष्ट्रवादी स्कूल विश्लेषणात्मक या इतिहासलेखन ज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत नहीं कर सका। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लेखन में राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास और इसे प्राप्त कुलीन नेतृत्व का केवल एक सामान्य अवलोकन ही मिलता है। उनका शोध गांधी की लोकलुभावन रणनीति का विश्लेषण करने में विफल रहा, जो उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। दूसरी ओर, जनता की भागीदारी के महत्व पर जोर देने के बावजूद, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने अपने अधिकांश अध्ययन को पूंजीपति वर्ग के गांधी के प्रतिनिधित्व पर केंद्रित किया। जन-आंदोलन पर आधारित गांधीवादी रणनीति की गहन जांच भी उनके लेखन में अनुपस्थित है।

पाकिस्तान और भारत का निर्माण 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर विभाजन के परिणामस्वरूप हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के बावजूद, औपनिवेशिक नियंत्रण के अंत में इन दो राज्यों के परिणामस्वरूप निर्माण के साथ-साथ औपनिवेशिक नेताओं द्वारा राष्ट्र को विभाजित करने के तरीके के कारण भयानक,

दुखद घटनाएँ भी हुईं। तब से भारतीय उपमहाद्वीप के प्रत्येक देश ने विवादित सीमाओं का अनुभव किया है। इसने भारत को अघोषित गृहयुद्ध में भी झोंक दिया। वर्तमान में उपमहाद्वीप को परेशान करने वाले कई मुद्दे, जिनमें जातीयता, सांप्रदायिकता, धार्मिक अतिवाद का उदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शामिल हैं, धर्म के आधार पर भारतीय विभाजन के प्रकरण से जुड़े हैं। विभाजन ने धार्मिक पहचान के आधार पर "संबद्धता" के सवाल को सीधे और मार्मिक तरीके से पूछा जिसने पसंद और निष्ठा को ध्रुवीकृत कर दिया, जिससे पुरानी और नई दोनों तरह की दुश्मनी बढ़ गई।

विभाजन पर किए गए अध्ययनों को अभी तक वह गंभीर आलोचनात्मक ध्यान नहीं मिला है जिसकी आवश्यकता एक संपूर्ण और व्यवस्थित विश्लेषण के लिए है। विभाजन के राजनीतिक इतिहास की पृष्ठभूमि के खिलाफ महत्वपूर्ण उपन्यासों का व्यवस्थित और गहन विश्लेषण करने के अलावा, यह कार्य नए उपन्यासों और पहले से उपेक्षित उपन्यासों को शामिल करके सर्वेक्षण को अद्यतन करने का प्रस्ताव करता है जो विभाजन को पूरी तरह से या थोड़ा संभालते हैं। इस विश्लेषण का लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि ये पुस्तकें विभाजन के किस पहलू से विषयगत रूप से संबंधित हैं और किस हद तक वे इन विशेषताओं को कला के कार्यों में बदलने में सफल हैं।

दो राष्ट्र सिद्धांत का विकास

"दो-राष्ट्र परिकल्पना" के रूप में जाना जाने वाला एक राजनीतिक विचार ब्रिटिश भारत को दो अलग-अलग राज्यों में विभाजित करने का आह्वान करता है, एक मुसलमानों के लिए और दूसरा हिंदुओं के लिए। यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू बहुसंख्यक शासन से मुस्लिम अलगाव के लिए एक बौद्धिक आधार के रूप में उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश राज, या ब्रिटिश सरकार का अपने भारतीय उपनिवेशों पर नियंत्रण, 1947 में समाप्त हो गया, और दो नए संप्रभु राष्ट्र - भारत और पाकिस्तान - स्थापित हुए। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के बीच दशकों के राजनीतिक तनाव के बाद सांप्रदायिक आधार पर उपमहाद्वीप को विभाजित करने के लिए एक समझौते का परिणाम था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, जिसमें मुसलमान मुख्य रूप से उस स्थान पर रहते थे जिसे अब पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है और हिंदू मुख्य रूप से वर्तमान भारत में रहते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का विकास इस प्रकार हुआ है:-

1887- वायसराय डफरिन और संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया। सरकार ने भिनगा के राजा शिव प्रसाद और सैयद अहमद खान को कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में समर्थन दिया। हालाँकि कुछ मुसलमान कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन सैयद अहमद खान ने शिक्षित मुसलमानों से ऐसा न करने का आग्रह किया।

1906- सभी स्तरों पर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका प्रतिनिधित्व न केवल उनकी संख्यात्मक शक्ति के अनुरूप हो, बल्कि उनके "राजनीतिक महत्व और ब्रिटिश साम्राज्य में उनके योगदान" के अनुरूप भी हो, आगा खान ने एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल (जिसे शिमला प्रतिनिधिमंडल के रूप में जाना जाता है) को वायसराय लॉर्ड मिंटो के पास भेजा। साम्राज्य में उनके "असाधारण योगदान" की सराहना करते हुए, मिंटो ने उन्हें उनकी संख्या से अधिक विशेष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने का वादा किया। आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन-उल-मुल्क और नवाब वकार-उल-मुल्क ने ब्रिटिश प्रशासन के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया।

1909-1915- मॉर्ले-मिंटो सुधारों ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए। लाल चंद और यूएन मुखर्जी ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की। कासिम बाजार के महाराजा के संरक्षण में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपना उद्घाटन सत्र आयोजित किया।

1916- मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने सहमति जताई और कांग्रेस और लीग ने संयुक्त रूप से सरकार के समक्ष अपने अनुरोध प्रस्तुत किए। हालांकि, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को राजनीतिक वैधता प्रदान की।

1920-22- मुसलमानों ने रौलट और खिलाफत असहयोग आंदोलन में भाग लिया, हालांकि उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में सांप्रदायिक घटक था।

1920 का दशक- आर्य समाजियों द्वारा शुद्धि (शुद्धिकरण) और संगथन (संगठन) आंदोलनों की स्थापना की गई। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम में धर्मांतरित लोगों को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित करना था। जवाब में, मुसलमानों ने तबलीग और तंजीम समूहों की स्थापना की। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। सी.आर. दास के निधन के बाद, संगठन विचारधारा के आधार पर उत्तरदायी और गैर-उत्तरदायी में विभाजित हो गया। 1926 में, मोतीलाल नेहरू जैसे गैर-उत्तरदायी ने लाला लाजपत राय, एन.सी. केलकर और मदन मोहन मालविया के पक्ष में विधानसभा से वापस ले लिया, जिनका इरादा सरकार के साथ सहयोग करना था। स्वराजवादियों के नस्लीय और धार्मिक आधार पर विभाजित होने के बाद स्वराजवादियों के भीतर उत्तरदायी हिंदू महासभा में शामिल हो गए। अली बंधु जो शौकत अली (1873-1938) मोहम्मद अली जौहर (1878-1931) हैं, ने कांग्रेस के साथ प्रभावशाली संयुक्त मोर्चा बनाने के बाद कांग्रेस पर सिर्फ हिंदू हितों की रक्षा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांप्रदायिकता के प्रसार को विफल करने के लिए एक व्यवहार्य योजना विकसित करने में असमर्थ थी।

1928- मुस्लिम कट्टरपंथियों और सिख लीग ने कांग्रेस द्वारा सुझाए गए संवैधानिक सुधारों पर नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। जिन्ना ने चौदह मांगें रखीं, जिनमें अलग निर्वाचन क्षेत्र और सत्ता के पदों पर मुस्लिम आरक्षण शामिल थे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ बातचीत की और कई गलतियाँ कीं, जिनमें शामिल हैं :

1. इसने लीग की राजनीति को वैधता प्रदान की, जिससे समाज को अलग-अलग हितों वाले अलग-अलग समुदायों में विभाजित करने को मान्यता मिली।
2. इसने धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी मुसलमानों की भूमिका को कमज़ोर किया।
3. एक समुदाय को दी गई रियायतों ने अन्य समुदायों को भी वैसी ही रियायतें मांगने के लिए प्रेरित किया।
4. सांप्रदायिकता पर चौतरफा हमला करना मुश्किल हो गया।

1930-34- जमात-ए-उलेमा-ए-हिंद, कश्मीर राज्य और खुदाई खिदमतगार जैसे कुछ मुस्लिम समूहों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, लेकिन कुल मिलाकर मुसलमानों की भागीदारी खिलाफत आंदोलन के स्तर के आसपास भी नहीं थी। जबकि कांग्रेस ने आगे के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में आयोजित तीन गोलमेज सम्मेलनों में से दो से खुद को दूर रखा, सांप्रदायिकों ने उन तीनों में भाग लिया।

1932 - सांप्रदायिक पुरस्कार में 14 बिंदुओं में निहित सभी मुस्लिम सांप्रदायिक मांगों को स्वीकार कर लिया गया। 1937 के बाद - 1937 के प्रांतीय चुनावों में अपने खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप मुस्लिम लीग ने गंभीर सांप्रदायिकता का

अभ्यास करने का फैसला किया। मुसलमानों को अल्पसंख्यक के बजाय एक अलग राष्ट्र के रूप में चित्रित करने की प्रवृत्ति पैदा हुई (1930 के दशक की शुरुआत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का यह विचार एक युवा मुस्लिम बुद्धिजीवी रहमत अली द्वारा प्रस्तावित किया गया था और बाद में कवि इकबाल द्वारा विकसित किया गया था)। इस बिंदु से, सांप्रदायिकता को मध्यम और उच्च वर्गों के आधार पर एक व्यापक आंदोलन के रूप में संगठित किया गया था। कांग्रेस जेड.ए. सुलेरी, एफ.एम. दुर्रानी, फजल-उल-हक आदि के शातिर प्रचार का लक्ष्य थी। चरम सांप्रदायिकता धमकी, शत्रुता और शारीरिक और मौखिक हिंसा पर आधारित थी। आरक्षण और सुरक्षा पर आधारित उदार सांप्रदायिकता 1937 से पहले भी मौजूद थी। यह सांप्रदायिक था, जबकि इसमें कुछ उदार, लोकतांत्रिक, मानवतावादी और राष्ट्रवादी सिद्धांतों के साथ-साथ यह विचार भी था कि इन अलग-अलग समूहों को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के हित में एक राष्ट्र में एकीकृत किया जा सकता है। मुसलमानों की तीव्र सांप्रदायिकता की प्रतिध्वनि हिंदुओं के उग्र सांप्रदायिक राष्ट्रवाद में भी देखी गई, जिसका उदाहरण हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे समूहों के साथ-साथ गोलवलकर जैसे लोगों के विचारों में भी मिलता है।

कट्टरपंथी सांप्रदायिकता का उदय कई कारकों से प्रेरित था|

1. बढ़ती कट्टरता के साथ, प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता के माध्यम से एक सामाजिक आधार की तलाश की।
2. औपनिवेशिक प्रशासन ने राष्ट्रवादियों को विभाजित करने के लिए अन्य सभी साधनों को समाप्त कर दिया था।
3. सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को चुनौती देने में पहले की विफलताओं ने सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया था।

1937-39- कांग्रेस द्वारा खुद को हिंदू संगठन घोषित करने और मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र आवाज़ के रूप में मान्यता देने की बेतुकी मांग को आगे बढ़ाकर जिन्ना ने सुलह के सभी दरवाज़े बंद कर दिए। 24 मार्च, 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन ने "पाकिस्तान प्रस्ताव" को अपनाया, जिसमें भौगोलिक रूप से एक दूसरे से सटे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों (मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी भारत) में स्वायत्त, संप्रभु घटक इकाइयों के साथ स्वतंत्र राज्यों के निर्माण के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की गई, जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लीग के राजनीतिक समझौते पर ब्रिटिश भारत सरकार का प्रभावी रूप से वीटो था। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स के सुझाव, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन योजना सहित वार्ता के दौरान, लीग ने इस विशेषाधिकार का पूरा उपयोग किया और एक अलग पाकिस्तान की अपनी मांग पर अडिग रही। 1947 में, इसने अंततः पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और बंगाल के मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों से मिलकर एक स्वतंत्र पाकिस्तान बनाने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत के विभाजन में कला का योगदान

इस ऐतिहासिक घटना से प्रभावित लोगों की भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के साधन के रूप में, कला ने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाजन के दोनों पक्षों के कलाकारों ने ऐसी कृतियाँ बनाईं, जो इस अवधि के दौरान हुई घटनाओं के बारे में उनकी भावनाओं को दर्शाती हैं। इन कलाकृतियों में अक्सर विस्थापन, हानि, दुःख और स्वतंत्रता के बाद बेहतर भविष्य की आशा जैसे विषय शामिल होते थे।

साहित्य और कला समाज के साथ-साथ विकसित होते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन काल भारतीय कला पर अपने धार्मिक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं और जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे महत्वपूर्ण धर्मों का जन्मस्थान थे। इसी तरह, आधुनिक समय में, राष्ट्रवादी गौरव से प्रेरित अवंत-गार्डे आंदोलन ने भारतीय कला को "स्वदेशी" विचारों से भरकर बदल दिया। भारतीय कला और साहित्य मुक्ति आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी उत्साह और अभिव्यक्ति से प्रभावित थे।बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जिसकी जड़ें पूर्व कलकत्ता और शांतिनिकेतन शहरों में थीं, की स्थापना 1905 के स्वदेशी आंदोलन के परिणामस्वरूप हुई थी।

अबनिंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए बंग माता/भारत माता को पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ़ आवाज़ के रूप में चित्रित किया था। इसकी चार विशेषताएँ- भोजन, वस्त्र, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान- राष्ट्रवादी उद्देश्यों का लक्ष्य माने जाते थे।

भारत विभाजन में साहित्य की भूमिका

इस महत्वपूर्ण घटना से प्रभावित व्यक्तियों की भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए साहित्य का उपयोग भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण था। मुद्दे के विरोधी पक्षों के दोनों लेखकों ने इस दौरान हुई घटनाओं पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लेखन किया। ये साहित्यिक रचनाएँ अक्सर उखड़ने, नुकसान, उदासी और स्वतंत्रता के बाद बेहतर भविष्य की संभावना जैसे विषयों से निपटती थीं।

भारत के विभाजन की घटना को कई काल्पनिक साहित्यिक कृतियाँ दर्शाती हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली हैं १९५६ में खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, १९७४ में भीष्म साहनी की तमस, १९८८ में बाप्सी सिधवा की आइस कैंडी मैन, १९७५ में चमन नहल की आज़ादी, १९८८ में अमिताव घोष की द शैडो लाइन्स, १९८० में सलमान रुश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन, और शाम। १९५६ में खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान और १९८८ में बाप्सी सिधवा की आइस कैंडी मैन का दृश्य प्रतिनिधित्व दीपा मेहता की अर्थ और पामेला रूक्स की ट्रेन टू पाकिस्तान में पाया जा सकता है, दोनों को १९९९ सिनेक्वेस्ट सैन जोस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।

इतिहास और साहित्य का अध्ययन करके विभाजन और साहित्य के बीच के संबंध को समझा जा सकता है। साहित्य उन लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं की जांच करता है जिन्होंने विभाजन की घटना को देखा और अनुभव किया, जैसा कि इतिहासकारों की व्याख्या से पता चलता है, जबकि इतिहास हमें तथ्य देता है। जिस तरह से इतिहास नहीं कर सकता, साहित्य विभाजन की घटना के कारण हुए अनुभव और हिंसा को दर्शाता है। जबकि साहित्य भारत के विभाजन के कारण हुए उल्लंघन, घबराहट, अपमान और शोषण का वर्णन करता है, इतिहास केवल विभाजन का इतिहास बताता है।

ऑडियो और लिखित कार्य

कविताएँ, नारे, लोकगीत और संगीत जो पहले धर्म, सूफीवाद और रोमांटिक प्रेम पर केंद्रित थे, अब राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं। रवींद्रनाथ टैगोर, मुहम्मद इकबाल और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सहित अन्य लोगों ने साहित्य, कविता और भाषण का इस्तेमाल भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा किए गए भयावहता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अपने देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए मुक्ति के विचारों को जगाने के साधन के रूप में किया। उपन्यासों का विकास 19वीं सदी के सामाजिक सुधार पहलों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बंगाली उपन्यास आनंदमठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसमें भारतीय क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादी नेताओं का प्रसिद्ध नारा, वंदे मातरम शामिल है।

मीडिया और राष्ट्रीय आंदोलन

भारत के विभाजन में मीडिया की अहम भूमिका थी क्योंकि इसने लोगों को इस अशांत समय के दौरान अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का एक मंच दिया। विभाजन के दोनों पक्षों ने उस समय क्या हो रहा था, इसके बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए समाचार पत्रों, रेडियो शो और अन्य मीडिया का इस्तेमाल किया। ये लेख अक्सर उजड़ने, खोने, शोक और स्वतंत्रता के बाद एक उज्जवल जीवन की संभावना जैसे विषयों से निपटते थे। vii चूँकि दोनों देशों ने एक औपनिवेशिक अतीत साझा किया है जिसने एक दूसरे के साथ उनके संबंधों को प्रभावित किया है, इसलिए भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहेली बने हुए हैं। समाचार पत्रों के उपयोग के माध्यम से विचार, विश्वास और परंपराएँ लंबे समय से स्थापित हुई हैं। विभाजन के समय, विशेष रूप से 1947 और 1948 के वर्षों में समाचार पत्रों में अक्सर कार्टून और समाचार क्लिप छपते थे। विभिन्न मीडिया घरानों ने शरणार्थी संकट, महिलाओं का अपहरण, शरणार्थी घरों की नीलामी और बंगाल के विभाजन सहित कई विषयों को कवर किया है। इस विशेष पत्रिका ने वर्ष 1947 और 1948 के समाचार पत्रों के अंश और लेख पुनः प्रकाशित किए हैं। ट्रिब्यून, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड और क्षेत्रीय समाचार पत्र यहां सूचीबद्ध कुछ उल्लेखनीय प्रकाशन हैं।

बंगाली लोगों की ज़मीन का इतिहास असामान्य और कठिन दोनों है। सबसे पहले, अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए 1905 में क्षेत्रों को अलग कर दिया। फिर, 1947 में इसे पाकिस्तान के पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। आखिरी धूल अंततः 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की स्थापना के साथ छंटी। अगस्त 1947 की घोषणा से कुछ महीने पहले मई 1947 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अखबार में एक कार्टून प्रकाशित हुआ था। एच.एस. सुहरावर्दी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, एम.ए. जिन्ना और एम.के. गांधी चार नेता थे जो क्रमशः बंगाल के लिए एक अलग परिणाम के लिए लड़ रहे थे। विभाजन से केवल तीन महीने पहले, उनमें से प्रत्येक ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक अलग परिणाम की दलील दी। इतिहासकार हेमंती रॉय का दावा है कि कार्टून ने बंगाल और भारत के राजनीतिक भविष्य को लेकर गंभीर चर्चाओं को उजागर करने का अच्छा काम किया है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने अपने पाठकों को यह एहसास दिलाया कि वे चुन सकते हैं कि इनमें से कौन सा राजनेता बंगालियों और भारत के हितों को ध्यान में रखता है। वास्तव में, ये निर्णय बंगाल के अलावा अन्य स्थानों पर आयोजित बैठकों में लिए जाने चाहिए। यदि स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और व्यक्तित्व इस तरह की उथल-पुथल और भ्रम से घिरे हुए थे, तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि आम जनता के बीच क्या आशंकाएँ और चर्चाएँ होंगी।

इसी तरह, शिमला क्षेत्र के ट्रिब्यून संस्करण में अक्टूबर 1947 में शरणार्थियों की दुर्दशा पर एक ब्रोशर जारी किया गया था। शरणार्थियों को आने वाली सर्दियों के चरम मौसम के लिए तैयार होने के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी। दिल्ली

से आए एक मुस्लिम आप्रवासी जो पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद के जश्न को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। ऊपर दिए गए दोहे में यह पंक्ति है, "मैं ईद का आनंद कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मैं दुःख में हूँ।" मैं पतझड़ में रोता हूँ जब मैं वसंत की फसल के बारे में सोचता हूँ। इसके अलावा 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान भी एक अलग देश बन गया।

भारत का विभाजन और भारतीय रक्षा सेनाएँ

चूंकि वे इस अशांत समय के दौरान शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के प्रभारी थे, इसलिए भारतीय रक्षा बल भारत के विभाजन के लिए महत्वपूर्ण थे।[xi] उन्होंने विभाजन से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की, जैसे कि युद्ध से विस्थापित शरणार्थियों को भोजन और आश्रय। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह सुनिश्चित करने में योगदान दिया कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के परिवर्तन के इस युग के दौरान, विभाजन के सभी पक्ष एक-दूसरे की स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करें।

सर्वोच्च मुख्यालय के रूप में ब्रिटिश उपस्थिति की देखरेख में एक जटिल योजना ने सेना की सक्रिय शक्ति के साथ-साथ राष्ट्र की चल और अचल संपत्तियों को विभाजित कर दिया। व्यापक उत्सवों के बजाय बंगाल और पंजाब में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामूहिक हत्याएं और दंगे बदतर होते गए। सांप्रदायिक दंगों और प्रतिशोध से अपूरणीय मानव जीवन की भारी हानि और संपत्ति के नुकसान के अलावा, इसने विस्थापित लोगों के लिए गंभीर पीड़ा और व्यथा भी पैदा की। तेजी से नियंत्रण की आवश्यकता थी क्योंकि हिंसा की डिग्री गृहयुद्ध से भी आगे निकल गई थी। भारत और पाकिस्तान दोनों के सशस्त्र बलों के अधिक रक्तपात को रोकने और भारत या पाकिस्तान में सेवा करने का विकल्प चुनने वाले सेवा सदस्यों के शांतिपूर्ण आदान-प्रदान की सुविधा के बावजूद, भारत की स्वतंत्रता के लिए यह एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।

इस अप्रिय मिशन के लिए, पंजाब सीमा बल की स्थापना की गई थी। बढ़ते रक्तपात को रोकना मुश्किल था क्योंकि दोनों देशों की सेनाएँ ज़मीन पर व्यापक रूप से फैली हुई थीं। यह पुरानी भारतीय सेना की एक इकाई के रूप में अंतिम एकीकृत तैनाती थी। छह सप्ताह तक लगातार रक्तपात के बाद धीरे-धीरे शांति लौट आई।

शुरुआती चुनौतियों का सामना तब करना पड़ा जब शिथिल रूप से संघबद्ध रियासतों और भारतीय प्रांतों को एक एकल, समरूप इकाई में मिला दिया गया। 566 या उससे ज़्यादा रियासतों में से अधिकांश ने स्थापित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए भारत में शामिल हो गए, तीन को छोड़कर।

तीन समस्याग्रस्त राज्य थे जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, जो अब आंध्र प्रदेश में है, और जूनागढ़, जो अब गुजरात में है। एक वर्ष के लिए प्रभावी "स्थिरता समझौते" पर सहमत होकर, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर को भारत में शामिल होने का समय मिल गया, जबकि जूनागढ़ अनिर्णीत रहा। सशस्त्र पाकिस्तानी सीमांत जनजातियों और पाकिस्तान के नियमित सैनिकों ने अक्टूबर 1947 में राज्य पर आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर द्वारा जूनागढ़ और बाद में हैदराबाद में आंतरिक अशांति को शांत करने और एक सहज विलय की सुविधा के लिए भारतीय सेना और पुलिस बलों का उपयोग करने के विकल्प का प्रयोग करने से पहले इसे अपने कब्जे में लेना था।

इसके तुरंत बाद, पाकिस्तानी सेना कश्मीर में घुस गई और भारत के साथ एक अनौपचारिक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध पर चर्चा करने से पहले राज्य के भूभाग को समझना महत्वपूर्ण हो सकता है। कश्मीर के प्रांतों को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया गया था। घाटी को जम्मू क्षेत्र से पहाड़ी पीर पंजाल श्रृंखला द्वारा अलग किया जाता है, जो

लगभग पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है और इसकी ऊँचाई 2500 से 4500 मीटर तक है। लद्दाख घाटी और जम्मू क्षेत्र से ग्रेट हिमालयन रेंज द्वारा अलग किया जाता है, जो आगे पूर्व की ओर फैली हुई है और उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। फिर, सामरिक मुठभेड़ों की एक श्रृंखला के माध्यम से, लुटेरों को घाटी से बाहर खदेड़ दिया गया। मई 1948 तक, भारतीय सेना मुजफ्फराबाद के पास आगे बढ़ गई थी और उसका सामना पाकिस्तानी नियमित बलों से हुआ था, जो आज़ाद कश्मीर बटालियनों के साथ मिल गए थे, विशेष रूप से उरी और तिथवाल के पश्चिम में। उस बिंदु तक, पाकिस्तानियों के आदिवासी समूहों में नियमित सैनिक थे। जम्मू क्षेत्र में पुंछ गैरीसन पर अभी भी घेराबंदी की जा रही है। अंततः 80,000 से अधिक सैनिकों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया, जिसमें घाटी और प्रांत की प्रमुख बस्तियों से पाकिस्तानी उपस्थिति को पूरी तरह से हटाने में एक वर्ष से अधिक का समय लगा। पूरे कश्मीर ऑपरेशन के दौरान, व्यक्ति और समूह दोनों की ओर से जबरदस्त बहादुरी दिखाई गई।

मेजर सोम नाथ शर्मा परमवीर चक्र (पीवीसी) के पहले प्राप्तकर्ता थे, जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार और विक्टोरिया क्रॉस का विकल्प था। फरवरी 1948 में जब इसके सैनिक जम्मू और घाटी छोड़ने लगे, तो पाकिस्तान ने उत्तरी क्षेत्रों में एक नया हमला किया। स्कार्दू में, जम्मू और कश्मीर की एक कमजोर मिलिशिया इकाई ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अस्थायी रूप से दुश्मन की प्रगति को रोक दिया।

निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि अंग्रेजी में भारतीय लेखक 1947 के भारत विभाजन से काफी प्रभावित हैं, जो दक्षिण एशियाई इतिहास में सबसे विवादित विषयों में से एक है। राजनीतिक इतिहास की पृष्ठभूमि के खिलाफ विभाजन की पुस्तकों के विश्लेषण के बाद अध्ययन को समाप्त करने के लिए थीसिस का संक्षिप्त सारांश यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के इतिहास में, विभाजन सबसे अधिक चर्चित मुद्दा प्रतीत होता है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद दूसरे स्थान पर है और भारतीय उपन्यास में प्रमुख विषयों में से एक है। हालाँकि, इस विषय का गहन अध्ययन खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान तक नहीं दिखता है, जो अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के इतिहास में दस साल बाद आया। यह उल्लेखनीय है कि यह विषय पच्चीस से अधिक उपन्यासों में या तो व्यापक रूप से या छिटपुट रूप से और सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस विषय की भविष्य की अपील कई और लेखकों को आकर्षित करती है।[xiii] शोध विभिन्न अंग्रेजी-भाषा के भारतीय उपन्यासों की जांच करता है जहां यह मुद्दा अलग-अलग डिग्री की भागीदारी और उपचार में उभरता है।

संदर्भ

(i) ए. भल्ला, मेमोरी, हिस्ट्री एंड फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन्स ऑफ द पार्टिशन, इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2011, पृ.

(ii) ए. वेंड्ट, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999.

(iii) डी. गिलमार्टिन, पार्टिशन, पाकिस्तान, एंड साउथ एशियन हिस्ट्री: इन सर्च ऑफ ए नैरेटिव. द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज, 1998, पृ. (iv) iv एस. एच. मंटो, आज़ादी की खातिर: चयनित कहानियाँ और रेखाचित्र, ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग प्रेस, 2001।

(iv) आर. रितुपर्णा, दक्षिण एशियाई विभाजन कथा अंग्रेजी में: खुशवंत सिंह से अमिताव घोष तक, एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010।

(v) ए. मल्होत्रा, रिमेंबरिंग की भाषा में: विभाजन की विरासत, हार्पर कॉलिन्स प्रकाशन, 2022।

(vi) ए. भल्ला, विभाजन की स्मृति, इतिहास और काल्पनिक अभ्यावेदन, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 2011, पृ.

(vii) एम.ए. खान, पहचान की तलाश में पाकिस्तान, दिल्ली: आकार बुक्स, 2011.

(viii) टी.वी. पॉल, भारत-पाकिस्तान संघर्ष: एक स्थायी प्रतिद्वंद्विता, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, वीना दास, भाषा और शरीर: दर्द के निर्माण में लेन-देन, डेडलस, 1996, पृ..

(ix) ए. वेंड्ट, अराजकता वह है जो राज्य बनाते हैं: सत्ता की राजनीति का सामाजिक निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 1992, पृ.

(x) ए. मल्होत्रा, विभाजन के अवशेष: विभाजित महाद्वीप से 21 वस्तुएँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

(xi) यू. बुटालिया, बदलाव के लिए सुनना: "विभाजन की कहानियाँ", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक।